न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 109/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/193**
दायर दिनांक :– 04.05.2022 **निर्णय दिनांक :– 24.02.2025**

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रूपसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा तहसील बाप जिला जोधपुर		1. पुष्पाकंवर पुत्री मोहबतसिंह 2. मनोहरसिंह पुत्र मोहबतसिंह 3. रूपसिंह पुत्र मोहबतसिंह 4. विशालसिंह पुत्र मोहबतसिंह 5. सांगसिंह पुत्र मोहबतसिंह 6. सोहनसिंह पुत्र मोहबतसिंह 7. उगमसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह 8. प्रभूसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह 9. भैरूसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह 10. किशनसिंह पुत्र जयसिंह उर्फ जसवन्तसिंह 11. सांगसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा तहसील बाप जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ता 6
3 श्री विरेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी 8 ता 11

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण

24/2/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। ग्राम बड़ीसिड में से नया राजस्व ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय नवसृजित हो जाने से उक्त भूमि वर्तमान में नवसृजित ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 80 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट व इससे पूर्व गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह का 1/2 हिस्सा व जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा व काश्त अलग–अलग रूप से चला आ रहा था। वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह एवं जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र जससिंह गलती से राजस्व खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि में गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह व जससिंह उर्फ जसवंतसिंह पुत्र सबलसिंह दोनो का बराबर–बराबर हक व हिस्सा था। इसी अनुसार ही मौके पर कब्जा व काश्त अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक दोनो का रहा। इसलिये प्रार्थी ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी अपने एवं अप्रार्थीगण सं. 7 ता 11 की खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 7 ता 11 के पिता जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह का अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जा व काश्त रहा और प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 7 ता 11 के पिता जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से अनुसार वर्तमान में कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त पैतृक भूमि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी अपने एवं अप्रार्थीगण सं. 7 ता 11 की खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि सरासर गलत रूप से गणपतसिंह पुत्र जससिंह के नाम दर्ज कर दी थी। उक्त गलत इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए गणपतसिंह का विरासरत नामान्तरकरण सं. 457 मौजा बड़ीसिड अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के पिता मोहबतसिंह पुत्र गणपतसिंह के नाम भरा जाकर स्वीकृत हुआ। जबकि मोहबतसिंह गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह का पुत्र था और मोहबतसिंह ने अपने नाम दर्ज अपने हिस्से की भूमि का बैचान कर दिया था जो खरीददारान के नाम दर्ज है और उनका राजस्व रेकर्ड में खाता भी अलग कायम है। उक्त बैचान के बाद खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि शेष रहती है जो भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसमें मोहबतसिंह पुत्र गणपतसिंह का कोई हक व हिस्सा ही नहीं है। जब मोहबतसिंह पुत्र गणपतसिंह फौत हुए तो मोहबतसिंह का फौतेदगी का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 ने इसी कारण नहीं भरवाया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 7 ता 11 का कब्जा व काश्त है और उक्त भूमि जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह के हक व हिस्से की भूमि है। लेकिन वर्तमान में

२५/२/२५

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जमीनों की कीमतो में अत्यधिक बढोतरी होने कारण अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के मन में बदयान्ति जागृत हो गई और गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाकर मोहबतसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 359 मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय ग्यारह वर्ष बाद वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 ने अपने नाम से भरवा कर स्वीकृत करवा लिया और अब उक्त भूमि का आगे बैचान करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 उतारू है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी नामान्तरकरण सं. 359 मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय को निरस्त करवा कर ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के स्थान पर प्रार्थी अपने एवं अप्रार्थीगण सं. 7 ता 11 की खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का अपने पैतृक भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की है। लेकिन अभी दिनांक 20/04/2022 को प्रार्थी जब अपने हिस्से की भूमि का रख रखाव कर रहा था तभी अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 सभी एकराय होकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों भूमि में आये और प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त सम्पूर्ण भूमि वर्तमान में हमारे नाम दर्ज है और उक्त भूमि का आगे बैचान कर रहे है इसलिये तुम उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हे उक्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल कर देंगे। उस दिन तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 को समझा बुझा कर वहां से निकाल दिया है। लेकिन जाते हुए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 ने धमकी दी की आईन्दा हम पुनः आकर हम तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 उपरोक्त अपने नापाक इरादों मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब एवं असहाय है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की और से वकील श्री विजय तंवर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 की और

24/2/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

से वकील श्री विरेन्द्रसिंह द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिस से यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा बनता है या नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

24/2/25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)